

न्यायालय सी0जे0एम0 हाथरस
फौजदारी वाद संख्या-961/2019
सुलभ गर्ग बनाम इकबाल नईर
थाना-हाथरस गेट

दिनांक 17.5.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध इन कथनों के साथ दायर किया है कि अभियुक्त ने परिवादी की फर्म से दिनांक 24.10.2018 को रबरसीट कय की तथा भुगतान की एवज में एक चैक संख्या 052945 दिनांक 24.10.18 भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर का 50 हजार रुपये का परिवादी को हस्तगत किया तथा परिवादी को यह वचन एवं विश्वास दिलाया कि उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत करते ही परिवादी को चैक धनराशि का भुगतान हो जायेगा। परिवादी द्वारा प्राप्त चैक को भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक मंडी समिति हाथरस में दिनांक 23.1.2019 को प्रस्तुत किया, किन्तु अभियुक्त के खाते में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चैक फण्ड इनसफीसियेन्ट की टिप्पणी के बिना भुगतान दिनांक 29.1.2019 को वापस प्राप्त हो गया। परिवादी ने नोटिस दिनांक 26.2.2019 को अभियुक्त को भेजा जिसकी अभियुक्त पर तामील हो गयी। बावजूद तामील के अभियुक्त ने सम्बन्धित धनराशि का भुगतान नहीं किया। आरोपक ने अभियुक्त को तलब कर दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

परिवादी ने धारा 200 द0प्र0स0 की साक्ष्य शपथपत्र के द्वारा दी है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, असल चैक, बैंक मीमो दाखिल किया है।

सुना एवं पत्रावली का अववलोकन किया।

परिवादी ने साक्ष्य 200 द0प्र0स0 में दिये गये शपथपत्र से परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है। परिवादी की ओर से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को 50 हजार रुपये का भारतीय स्टेट बैंक का चैक संख्या 052945 दिनांकित 24.10.2018 दिया गया, जिसे परिवादी ने भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक द्वारा फण्ड इनसफीसियेन्ट की टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के परिवादी को वापस कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया विपक्षी के विरुद्ध धारा 138 एन0आई0एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आधार पर्याप्त है।

विपक्षी इकबाल नईर को धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध हेतु द्वारा सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर 10 दिन करें धारा 204(2) द0प्र0स0 के तहत सूची गवाहान दाखिल होने के उपरान्त विपक्षी के विरुद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली हाजिरी हेतु दिनांक 8.7.2019 को पेश हो।

एस.डी./-
सी0जे0एम0 हाथरस
17.5.2019